न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 398–तीन/2008 निगरानी – विरूद्व आदेश दिनांक 15–4–2008 – पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्र0क0 128/2001–02 अपील

राजरूप पुत्र जगन्नाथ प्रसाद पटैल
ग्राम रामपुर नैकिन तहसील बेढ़न ---आवेदक
जिला सीधी, मध्य प्रदेश

विरूद्व

1– श्रीमती हिंगी पत्नि स्व. रामस्वयंबर सिंह
2– श्रीमती जुकू देवी पत्नि स्व.रघुवंशप्रसाद
3– झल्लूप्रसाद पुत्र स्व.रघुवंश प्रसाद
4– भूपेन्द्र 5– राजेन्द्र 6– मोतीलाल
7– सुरेश 8– अनिल 9– सत्यप्रसाद
पुत्रगण स्व.रामस्वयं0सर सिंह पटैल
सभी ग्राम झाझ तहसील रामपुर नेकिन
जिला सीधी मध्य प्रदेश
10–श्रीमती फूलमती पत्नि स्व. रामकृपाल पटैल
11– अशोककुमार पुत्र स्व. रामकृपाल पटैल
12– श्रीमती बतसिया पत्नि स्व.तीरथप्रसाद पटैल
13– श्रीनिवास 14– छोटेलाल 15– राजमणि
16– मोरध्वज सिंह 17– मट्ठकधारी 18– रामगोपाल
सभी पुत्रगण स्व.जगन्नाथ पटैल सभी निवासी ग्राम
झाझ तहसील रामपुर नेकिन जिला सीधी , मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आई0पी0द्विवेदी)

(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 3 – 8–2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 128/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–2–2008 के विरूद्व

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल क्र-2 सीधी ने प्रकरण क्रमांक 41 अ 27/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 22-2-1996 से उभय पक्ष की संयुक्त भूमियों का बटवारा किया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के समक्ष अपील प्रस्तुत की तथा अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 27/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनॉक 7 सितम्बर 2001 से अपील विलम्ब से प्रस्तुत होना मानकर निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 128/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-2-2008 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत कर विलम्ब का समुचित कारण दर्शाया गया था , किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा-5 के तथ्यों को एंव समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र को मिथ्या मानकर अपील निरस्त करने में भूल की है यदि आवेदक के ग्रामीण एंव अपढ़ होने के कारण वकील उसे सही जानकारी नहीं देता है तो आवेदक के प्रति सहानुभूतिपूर्वक रखकर निर्णय लेना चाहिये और जब अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर वास्तविकता बताई गई, किन्तु अपर आयुक्त ने विलम्ब के समुचित कारणों पर ध्यान न देकर अपील निरस्त करने में भूल की है इसलिये विलम्ब सदभावना पर आधारित होने के कारण क्षमा किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी चुरहट व्दारा आदेश दिनांक 7-9-01 में अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन की विवचना कर विलम्ब के कारण समुचित नहीं हैं अनुविभागीय अधिकारी चुरहट

के आदेश दिनांक 7-9-01 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 15-2-2008 में विलम्ब के संबंध में निकाले गये निष्कर्ष सही है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 41 अ 27/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 22-2-1996 के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के समक्ष दिनांक 31-3-97 को अर्थात 01 वर्ष से अधिक समय वाद अपील प्रस्तुत की है। अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन तथ्यों से असहमत होकर अपर आयुक्त ने निष्कर्ष दिया है कि जब अपीलार्थी पूर्व से न्यायालय में उपस्थित था उसे प्रकरण के बारे में सजग होना चाहिये था इसलिये एक वर्ष पश्चात् ज्ञात होने का तथ्य कोरी कल्पना है। अनुविभागीय अधिकारी का निष्कर्ष है कि अपीलांट व्दारा अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में लिखा है कि दिनांक 6-11-95 के वाद प्रकरण में पेशी नहीं मिलने से अपीलांट समन सूचना की प्रतीक्षा करता रहा। अचानक दिनांक 2-3-97 को राजस्व निरीक्षक से पता लगा। अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 29-1-96 में उभय पक्ष के अभिभाषक के उपस्थित होना पाया गया है दो अभिभाषकों के हस्ताक्षर भी है। अनुविभागीय अधिकारी का यह निष्कर्ष आशॅकाओं पर आधारित है जब अपीलांट/आवेदक यह बता रहा है कि दिनांक 6-11-95 के वाद प्रकरण में पेशी नहीं मिलने से अपीलांट समन सूचना की प्रतीक्षा करता रहा इस तथ्य की पुष्टि में शपथ पत्र दे रहा है जिनके तथ्यों पर यह अंदाज लगाकर कि आर्डरशीट पर दो वकीलों के हस्ताक्षर है निष्कर्ष समुचित नहीं है क्यों कि दो वकीलों के बजाय यह हस्ताक्षर किन्हीं अन्य के भी हो सकते हैं क्योंकि हस्ताक्षरों के पुष्टिकरण का प्रमाण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में नहीं है।

1. परिसीमा अधिनियम , 1963 की धारा 5 में व्यवस्था दी गई है कि अपील फाइल करने में विलम्ब की माफी पर विचार किया जाना है और विलम्ब माफी का बाजिव कारण बताया गया है तब विलम्ब माफ कर देना चाहिये। मामला गुणागुण पर निराकरण के लिये विचार में लिया जाना चाहिये। अवधि विधान की धारा-5 सहपठित म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 के आवेदन के कारणों पर विचार करते हुये मामले में विधि का सारवान सिद्वांत अंतर्ग्रस्त हों तब परिसीमा की तकनीक उस पर अभिभावी नहीं मानना चाहिये एंव ऐसे मामले में न्याय से इंकार नहीं करना चाहिये (A.I.R. 1987 S.C. 1353 से अनुसरित)

2. **A.I.R. 1974 S.C. 650** एंव **A.I.R. 1984 S.C. 41**में व्यवस्था दी गई है कि अधिवक्ता की चूक को क्या विलम्ब के समुचित आधार मानना चाहिये। विचार किया गया और सकारात्मक मत दिया गया और विलम्ब क्षमा करने के लिये पर्याप्त आधार माना गया।
3. काशीराम बनाम गोपाल अग्रवाल 1996 म0प्र0ज0लॉ0ज0 शार्ट नोट 13 : 1995 (1) म0प्र0वीकली नोट 243 म0प्र0 का न्याय दृष्टांत है कि यदि आवेदक की प्रास्थिति गरीव व ग्रामीण व्यक्ति के रूप में हो तो विलम्ब क्षमा किए जाने के पक्ष में निर्णय लिया जाना चाहिये।

अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनॉक 7 सितम्बर 2001 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा आदेश दिनांक 15-2-2008 में निकाले गये निष्कर्ष उक्त के विपरीत होकर आवेदक को न्याय से बंचित किये जाने की श्रेणी में प्रतीत होते हैं जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 128/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-2-2008 तथा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट व्दारा प्रकरण कमांक 27/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनॉक 7 सितम्बर 2001 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट की ओर से प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर अपील प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया जावे।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर